

366

242

16

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म०प्र०
R.5048 सी/17



R5048 II/17

1- बाल्मीक पटेल तनय स्व० शिवचंदोर पटेल उम्र 56 वर्ष पेशा खेती निवासी
ग्राम अमिलकी पोस्ट अमिलकी तहसील हुजूर जिला रीवा म०प्र०
----- निगरानी कर्ता।

बनाम

- 1- लालमणि पटेल तनय श्री रामसिया पटेल उम्र 48 वर्ष पेशा नौकरी व खेती
निवासी ग्राम अमिलकी पो० अमिलकी तह० हुजूर जिला रीवा म०प्र०।
 - 2- रामकृमाल पटेल तनय शिवचंदोर पटेल पेशा खेती उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम
अमिलकी पो० अमिलकी तह० हुजूर जिला रीवा म०प्र०।
 - 3- बृजवासी तनय शिवचंदोर पटेल उम्र 65 वर्ष पेशा खेती,
 - 4- मनमोहन पिता रामलला उम्र 68 वर्ष पेशा खेती,
 - 5- रामरंगीले पिता रामलला उम्र 53 वर्ष पेशा खेती,
 - 6- शंकर पिता रामलला उम्र 52 वर्ष पेशा खेती,
 - 7- रामलखन पिता रामलला उम्र 50 वर्ष पेशा खेती,
 - 8- मिथिला पिता रघुनन्दन उम्र 77 वर्ष पेशा खेती,
- क्र० 3 ता 8 सभी निवासी ग्राम अमिलकी तह० हुजूर जिला
रीवा म०प्र०।
- 9- शासन म०प्र० द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा
----- अनावेदक गण ।

नायब तहसीलदार गोविन्दगढ़ तहसील
हुजूर जिला रीवा द्वारा प्र०क्र० 4/अ74/
14-15 मे पारित आदेश दिनांक 23-12-
-2016 के विरुद्ध निगरानी याचिका अन्त-
र्गत धारा 50 भूराजसंहिता ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार :-

आवेदक का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :-

बाल्मीक पटेल

प्र० -----

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक. R. 5048-क्रो/17 जिला सीवा

वालमीक पटेल विरुद्ध लातमार्ग पटेल

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>अशोक सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील <u>ड्यूट (गोवर्धन)</u> प्रकरण क्रमांक <u>04/37-74/14-15</u> में पारित आदेश दिनांक <u>23.12.16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>16-1-19</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>16-1-19</u> को कलेक्टर <u>सीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p align="right"><u>सदस्य</u></p>	

मान्यवर,

निगरानी के आधार :-

आवेदक का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है :-